कृषक उत्पादक समूहों के प्रक्षेत्र पर अगामी खरीफ 2026 में फसलों के प्रभावी उन्नत प्रदर्शन करने की व्यावहारिक रणनीति

1. लक्ष्य–

- आगामी खरीफ–2026 में उत्पादकता वृद्धि के दृष्टिगत धान/ मक्का/ बाजरा/ ज्वार/अरहर/उड़द/मूंगफली एवं तिल की फसलों के उन्नत प्रदर्शन किये जाएंगे।
- उन्नत प्रदर्शन अन्तर्गत उत्पादकता वृद्धि, पोषण प्रबन्धन, नमी प्रबंधन, कीट/व्याधी एवं खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- परियोजनान्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन कृषक उत्पादक समूह के माध्यम से किया जायेगा।

2. भूसंकुलों का चिन्हांकन एवं कृषक उत्पादक समूहों का गठन–

- चिन्हित ग्रामों में 10–20 हेक्टेयर के एकीकृत भूखंडों का चिन्हांकन किया जायेगा।
- चिन्हित भूखंडों के सहभागी कृषकों के कृषक उत्पादक समूह गठित किये जाएंगे।
- कृषक उत्पादक समूह के सहभागी कृषकों का स्थानीय बैकों में खाता होना चाहिए, यदि समूह में जुड़ते समय खाता न हो तो जुड़ने के उपरान्त यथाशीघ्र खाता खोला जाना होगा।
- कृषक उत्पादक समूह के संचालनार्थ समूह के सदस्यों द्वारा समूह के विभिन्न क्रियाकलापों की विस्तृत एवं सुस्पष्ट नियमावली निर्धारित की जायेगी।
- कृषक उत्पादक समूहों द्वारा समूह के पदाधिकारियों का चिंहांकन/चयन किया जाना होगा एवं पदाधिकारियों के कार्य एवं दायित्व निर्धारित किये जाएंगे।

3. उन्नत प्रदर्शनों का आयोजन–

- मृदा स्वास्थ्य की जानकारी हेतु 10–20 हेक्टेयर के चिन्हित भूसंकुलों से Z आकार के 05 बिन्दुओं से मिट्टी के नमूने लिये जाएंगे। पांचों बिन्दुओं से लिये गये नमूनों को अच्छी तरह से मिलाकर छाना जायेगा। तैयार इस मिश्रण से 250 ग्राम मिट्टी प्रतिनिधि नमूने के रूप में लेबेल लगी हुयी थैली में रखकर स्थानीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। स्थानीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षणोपरांत आवश्यक मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के पूरण किये जाने सम्बन्धित संस्तुतियां प्राप्त की जायेंगी।

- संस्तुतियों के आधार पर आवश्यक मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का पूरण किया जाएगा।
- अधिसूचित एवं संस्तुत प्रजातियों का चयन प्रदर्शन से 02 माह पूर्व कर जनपदवार बीजों के उपलब्धता की प्रक्रिया निर्धारित कर ली जायेगी।
- कृषक उत्पादक समूहों द्वारा भूसंकुलों अन्तर्गत खेत के तल का गहन अवलोकन किया जायेगा। यदि अवलोकन/पूर्व अनुभव के आधार पर जानकारी में यह आता है कि कुछ खेतों में सिंचाई के पानी के स्तर की गहराई अलग–अलग होती है ऐसी स्थिति में सिंचाई के पानी का ईष्टतम प्रयोग किये जाने के दृष्टिगत ऐसे खेतों का लेजर लेवलर से समतलीकरण कराया जायेगा।

4. कृषक उत्पादक समूह के सदस्यों का प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन–

- जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में कार्यरत विभिन्न विषय वस्तु विशेषज्ञों का अभिमुखी करण प्रशिक्षण राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा किया जायेगा।
- प्रशिक्षित विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा सहयोगी संगठनों के क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा।
- प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं द्वारा कृषक उत्पादक समूह की बैठकों का आयोजन कर सहभागी कृषकों को परियोजना की गतिविधियों से अभिमुख कराया जायेगा।
- विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले अभिमुखीकरण प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण की अभिनव तकनीकी एवं प्रशिक्षण सामग्रियों जिसमें सरल हिन्दी में पर्चे, पोस्टर, चित्रकथानक तथा फोटो एवं वीडियो का प्रयोग किया जायेगा।
- प्रशिक्षणों में प्रस्तावित उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शनों का उद्देश्य, होने वाले लाभ आदि को प्रशिक्षणार्थियों के साथ साझा किया जाएगा।
- प्रशिक्षणों में स्थानीय विकासखण्ड के कृषि अधिकारी, कृषि प्रसार कर्मियों का सहभाग कराया जाएगा।
- प्रशिक्षणों में पूर्व में किये गये सफल प्रदर्शनों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा।
- प्रशिक्षणों में उन्नत फसलोत्पादन से होने वाले आर्थिक लाभ, जोखिम नियंत्रण एवं उनके दीर्घकालिक प्रभाव पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।

5. उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शन योजना निर्धारण–

- संस्तुति अनुसार प्रमाणित उन्नत प्रजातियों के बीज का चयन।

- मिट्टी परीक्षण के आधार पर मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के पूरण का प्रबंधन।
- सिंचाई जल के इष्टतम प्रयोग के दृष्टिगत उन्नत सिंचाई प्रबंधन।
- कीट/व्याधि/खरपतवार प्रबंधन।
- जुताई से कटाई तक की समय–सीमा का निर्धारण।
- सुरक्षित भंडारण प्रबंधन।
- कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु विपणन प्रबंधन।

6. उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शन हेतु निवेश व्यवस्था–

- मृदा स्वास्थ्य के दृष्टिगत कम्पोष्ट की व्यवस्था/हरी खाद प्रबंधन।
- संसूचित एवं प्रमाणित प्रजातियों के बीज की समय से व्यवस्था।
- आवश्यक मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा जैविक उर्वरकों की समय से व्यवस्था।
- सिंचाई जल के इष्टतम प्रयोग के दृष्टिगत भू–सतह का समय से समतलीकरण, उन्नत सिंचाई विधियों के प्रयोग किये जाने के लिए आधुनिक सिंचाई प्रणालियों का प्रयोग।

7. सतत अनुश्रवण एवं अभिलेखन–

- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत खेत की तैयारी, नर्सरी में बुवाई एवं खेत में बुवाई/रोपाई की तिथि का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत उर्वरकों के मात्रा की बेसल ड्रेसिंग, टाप ड्रेसिंग तथा सूक्ष्म तत्वों के पूरण की तिथि का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत सिंचन तिथियों का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत कीट/व्याधि से फसल सुरक्षा तथा खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयुक्त रासायनिक/जैविक उत्पादों के प्रयोग किये जाने की तिथि का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत उत्पाद के भंडारण के विवरण का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत फसलोत्पादन पर किये गये व्यय विवरण का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत उत्पाद के विपणन सम्बंधी विवरणों का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत फसलों के विपणन मूल्य के आधार पर सकल प्राप्ति का अभिलेखन।
- उन्नत फसलोत्पादन अन्तर्गत शुद्ध प्राप्ति का अभिलेखन।

8. उन्नत फसल प्रदर्शन का प्रचार एवं प्रसार–

- फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं पर सहभागी कृषकों सहित अन्य कृषकों को प्रक्षेत्र दिवसों का आयोजन कर आमंत्रित करते हुए प्रदर्शित फसल में दृश्यमान प्रत्यक्ष परिणामों का अवलोकन कराना एवं कृषकों की जिज्ञासाओं का समाधान।
- विकासखण्ड, जनपद तथा परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत कृषक उत्पादक समूहों द्वारा उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शन अन्तर्गत पाए गये दृश्यमान प्रत्यक्ष एवं अभिनव परिणामों से कृषकों के अवलोकनार्थ भ्रमण आयोजन।
- परियोजनान्तर्गत की गयी विभिन्न गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त परिणामों को प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से वृहत प्रचार–प्रसार।

9. परिणाम विश्लेषण एवं समीक्षा–

- उपज, लागत–लाभ विश्लेषण।
- उन्नत सघन पद्धतियों का आर्थिक प्रभाव।
- कृषक उत्पादक समूह के सदस्य किसानों से सतत चर्चा एवं विमर्श।
- कृषक उत्पादक समूह के सदस्य किसनों द्वारा प्रदर्शन किये जाते समय अनुभव की गयी अभिनव गतिविधियों तथा कठिनाइयों आदि पर चर्चा/विमर्श उपरान्त उनके सुझाव।
- विकासखण्ड कार्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, बैंक, विपणन केन्द्र एवं अन्य सहयोगी विभागों के साथ सक्रिय समन्वय।

10. परियोजना क्षेत्र अन्तर्गत आगामी खरीफ–2026 में धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, उड़द, मूंगफली तथा तिल के उन्नत फसलोत्पादन प्रदर्शन आयोजनार्थ जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सहयोगी संगठन, कृषक उत्पादक समूह एवं कृषक उत्पादक संगठन के सुलभ संदर्भ हेतु के लिए अनुसंशित कृषि पद्धतियां –